

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के पत्र संख्या—
1240 /UKSLSA/2025—26 दिनांकित 23.06.2025, के द्वारा माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की मोडिफाईड स्कीम 2022 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल प्रोजेक्ट के तहत एक उप मुख्य लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल (Deputy LADC), एक कार्यालय सहायक (Office Assistant), एवं एक अनुसेवक (Peon) की आबद्धता संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

S. No	Post Name	Qualification	Remuneration
1.	Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel 01 Post	<ul style="list-style-type: none">Practice in Criminal law for at least 7 years,Excellent understanding of criminal law,Excellent oral and written Communication skills,Skill in legal research,Thorough understanding of ethical duties of defence counsel,Ability to work effectively and efficiently with others,Must have handled at least 20 criminal trials in Sessions Courts,IT knowledge with proficiency in work.	40,000/- Per Month
2.	Office Assistant/ Clerk 01 Post	<ul style="list-style-type: none">Educational Qualification: Graduation,Basic word processing skills and the ability to operate computer,Typing speed of 40 WPM,Ability to take dictation and entering data,File maintenance and processing Knowledge.	20,000/- Per Month.
3.	Office Peon 01 Post	-	12,000/- Per Month

अतः उक्त विज्ञप्ति हेतु जो भी इच्छुक रखने वाले अभ्यार्थी अपना पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां के साथ नियत अर्हता सम्बन्धित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी, में

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक **05.07.2025** की सांय **5.00** बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में समस्त विवरण व जानकारी इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि उनके द्वारा भरे गये समस्त दस्तावेज पूर्ण विश्वास में पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है, यदि कोई तथ्य असत्य, अपूर्ण या छुपायी गयी पायी जाती है तो आवेदक का आवेदन निरस्त किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यह आबद्धता अग्रेतर आदेश तक इस शर्त के अधीन होगी कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी "सिविल पद" पर नियुक्ति नहीं है। उक्त पदों हेतु आबद्धता को कभी भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

उक्त पदों की सम्पूर्ण सूचना आबद्धता की शर्तें व आवेदन प्रारूप जिला न्यायालय उत्तरकाशी की वेबसाईट <https://uttarkashi.dcourts.gov.in> पर उपलब्ध होंगे। जिसे इच्छुक व अर्ह अधिवक्तागण/अभ्यर्थीगण द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया:- उप मुख्य लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद पर चयन उम्मीदवारों के ज्ञान, कौशल, अभ्यास और अनुभव को ध्यान में रखते हुये योग्यता साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु हिन्दी अंग्रेजी टाईपिंग टेस्ट 40 शब्द प्रतिमिनट, बोलकर लिखवाने पर लिखने की योग्यता एवं अनुसेवक हेतु साक्षात्कार व कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा।

दूरभाष- 01374-222711

ई-मेल- uttarkashi.dlsa@gmail.com

आवेदन की अन्तिम तिथि- 05.07.2025

सचिव/सिविल जज (एस0डि0)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तरकाशी।

Legal Aid Defence Counsel Project के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम —.....
2. पिता/पति का नाम—.....
3. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)—.....
4. शैक्षिक योग्यता (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)—.....
5. स्थायी पता—.....
6. पत्र व्यवहार का पता—.....
7. मोबाईल नम्बर—.....
8. ई-मेल आई.डी.—.....
9. क्या पूर्व में किसी न्यायालय में दोषसिद्ध तो नहीं किये गये तथा कोई अभियोजन लम्बित तो नहीं है, यदि हो तो पूर्ण विवरण दिया जाये—.....
10. अनुभव (यदि कोई हों)—.....

फोटो

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी.....

यह घोषित करता/करती हूँ, कि उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी में सही है, यदि कोई विवरण असत्य पाया जाता है तो मैं किसी भी विधिक कार्यवाही के उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

मैं तय परिश्रमिक पर आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ तथा यदि मेरा आबन्धन प्रस्तुत विवरण के आधार पर किया जाता है तो यह मात्र व्यवसायिक आबद्धता होगी। ऐसी आबद्धता को कभी भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और न मानी जायेगी।

दिनांक—

स्थान—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर